भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

## लोक सभा

### अतारांकित प्रश्न सं. 1085

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016/ 9 वैशाख, 1938 (शक) को दिया जाना है) **इंप्लिकेट पैन कार्ड** 

1085. श्री टी॰ राधाकृष्णन:

श्री राजीव सातव:

श्री धनंजय महाडीक:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री आर॰ गोपालकृष्णनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार का ध्यान देश में डुप्लिकेट पैन कार्ड के परिचालन की ओर आकर्षित किया गया है, यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसे डुप्लिकेट पैन कार्डों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है, जो चलन में है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा डुप्लिकेट पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ख) क्या सरकार ऐसे डुप्लिकेट नंबरों की पहचान करने में टैक्समैन और पैन जारी करने वाले मध्यस्थों की मदद करने के लिए इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन - परमानेंट अकाउंट नंबर नामक महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट प्लेटफॉर्म की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इसे कब तक प्रचालनशील बनाए जाने की संभावना है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में डुप्लिकेट पैन कार्ड की समस्या पर नियंत्रण के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

#### उत्तर

# वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) जी हां, किसी करदाता को आवंटित एक से अधिक परमानेन्ट एकाउंट नम्बर को निरसित करने / निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है।

22.04.2016 की स्थिति के अनुसार 11,56,894 पैन कार्ड को निरसित / निष्क्रिय किया जा चुका है इसको जारी किए जाने के कारण अलग-अलग मामलों में अलग-अलग रहे हैं। निरसित/निष्क्रिय किए गए पैन का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

एक से अधिक पैनकार्डों के आवंटन के मामले में आयकर अधिनियम,1961 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है और करदाता को केवल एक ही पैन रखने की अनुमति होती है।

- (ख) और (ग) आयकर विभाग ने अपने दिनप्रतिदिन के कार्य व्यापार को पूरा करने के लिए एक काम्प्रिहेन्सिव इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन (आइटीबीए) को चरण बद्ध ढंग से शुरू किया है। पैन भी एक तरह का मॉड्यूल है जो कि इस नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आइटीबीए के अन्तर्गत शुरू किया गया है। आईटीबीए-पैन साफ्टवेयर में एक नई प्रक्रिया जोड़ी गई है जिससे कि वर्तमान पैन के मुख्य क्षेत्र /पता में परिवर्तन करने से सम्बन्धित प्रत्येक 'चेंज रिक्वेस्ट फार्म के मामले में नकली पैन रिकार्ड का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा नए सॉफ्टवेयर में एक प्रावधान किया गया है जिससे कि संदिग्ध नकली पैन आवेदकों के आनलाइन फोटोग्राफ/स्कैन फोटो को प्रदर्शित किया जाए ताकि मैनुअल डुप्लीकेट रिजाल्वर नकली पैन की सही सही पहचान कर सकें।
- (घ) पैन डाटा बेस में स्वैच्छिक आधार पर आधार संख्या को डालने का काम शुरू हो गया है जिससे कि नकली पैन के आवंटन को रोकने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा पैन डाटा बेस में माता का नाम अतिरिक्त रूप से डालने से नकली पैन का पता लगाया जा सकेगा।

## 22.04.2016 को निरसित / निष्क्रिय किए गए पैन की राज्यवार संख्या

क्र.संख्या	राज्य विवरण	निरसित / निष्क्रिय किए गए पैन की सं.
1	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	416
2	आंध्र प्रदेश	64,224
3	अरुणांचल प्रदेश	173
4	असम	14,696
5	बिहार	29,817
6	चण्डीगढ़	3,113
7	दादर और नगर हवेली	172
8	दमन और दीव	162
9	दिल्ली	2,91,890
10	गोवा	3,329
11	गुजरात	48,884
12	हरियाणा	29,236
13	हिमांचल प्रदेश	1,733
14	जम्मू और कश्मीर	1,811
15	कर्नाटक कर्नाटक	38,228
16	केरल	7,070
17	लक्ष्यद्वीप	34
18	मध्य प्रदेश	87,774
19	महाराष्ट्र	2,20,845
20	मणिप्र	752
21	मेघालय	884
22	मिजोरम	36
23	नागालैण्ड	320
24	ओड़िसा	10,901
25	पाण्डिचेरी	1,457
26	पंजाब	33,612
27	राजस्थान	36,649
28	सिक्किम	28
29	तमिलनाड्	60,489
30	त्रिपुरा	1,219
31	उत्तर प्रदेश	61,335
32	पश्चिम बंगाल	64,468
33	छत्तीसगढ़	18,844
34	उत्तराखण्ड	1,602
35	झारखण्ड	7,280
36	तेलंगाना	1
37	विदेश और अन्य	13,410
	कुल	11,56,894

नोट - ये राज्य धारित पैन के क्षेत्र में पत्र व्यवहार के पते में उल्लिखित हैं।

\*\*\*\*\*